पत्रांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक ....

विषय : अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

प्रसंग : विभागीय परिपत्र संख्या–7 / जा0नि0 19–11 / 2008 – 5682 दिनांक 22.10.2008

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र का निर्धारण प्रासंगिक परिपत्र के प्रपत्र–II द्वारा किया गया था। कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 के आलोक में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा का समावेश सम्बन्धित प्रपत्रों में किया जाना आवश्यक था तद्विषयक संशोधित प्रपत्र– II की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या–5682 दिनांक 22.10.2008 की कंडिका–2 इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–...................... / रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–...................... / रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–1007 / रांची, दिनांक 29/08/12

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, विभागीय प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

29.8.12

सरकार के संयुक्त सचिव।